न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 67/2022
पंजीयन दिनांक 20.05.2022

(1). मोहम्मद हुसैन पिता करीम खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रजाक खाँ पिता करीम खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(3). याकूब पिता करीम खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(4). इकबाल पिता करीम खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(5). रहमत बाई बेवा करीम खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(6). बशीर खाँ पिता ईशाक खाँ जाति मुसलमान निवासी राशमी
मृतक के बजाय-
6/1. कमरूनिशा पुत्री बशीर खां जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6/2. मेहरूनिशा पुत्री बशीर खां जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6/3. सत्तार पिता बशीर खां जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6/4. बरकतुल्ला पिता बशीर खां जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
6/5. शब्बीर पिता बशीर खां जाति मुसलमान निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). पुष्पादेवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनिया खुर्द
मृतक के बजाय-
1/1. कमलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनिया खुर्द तहसील तहसील रेलमगरा हाल तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
1/2. निखिलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनिया खुर्द तहसील तहसील रेलमगरा हाल तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी
प्रकरण संख्या 152/2012 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2021

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). चन्दनमल जणवा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सख्या 1/1 व 1/2
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 16.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण अपीलांटगण के सयुंक्त खातेदारी एंव पृथक-पृथक कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा राशमी तहसील राशमी की खाता संख्या 226 मे दर्ज आराजी संख्या 2251, 2256, 2257, 2292 कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मे वादिया का 1/3 हक व हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। वादिया आराजी संख्या 2256 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा मे से 6 बीघा 1 बिस्वा पर मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का वादिया व प्रतिवादीगण अपीलांटगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित आराजी संख्या 2256 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा मे से 6 बीघा 1 बिस्वा पर मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार व काबिज अनुसार हिस्सा पृथक रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 1, 2, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसे इकबाली जवाबदावा होना बताकर पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादिया पुष्पा की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई जिसे दिनांक 14.07.2015 को लोक अदालत कैम्प मे रखा जाकर उभय पक्षकारान के द्वारा राजीनामे हेतु निवेदन किया जाना बताकर व आपसी सहमति होना बताकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। पत्रावली फैसल शुमार की गई। तत्पश्चात दिनांक 27.04.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की ओर से उक्त पत्रावली मे आवेदन प्रस्तुत कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिए पत्रावली मे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसी फर्द बंटवाड़े के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण सख्या 1, 2, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...त किये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वादिया द्वारा आराजी संख्या 2256 रकबा 8.13 बीघा मे से 6.1 बीघा पर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा होना अंकित किया गया है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे मे अस्वीकार किया गया फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे को इकबाली जवाबदावा होना मानकर पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना मानकर पत्रावली मे तनकीयात कायम किये बिना ही पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादिया पुष्पा की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.06.2015 नियत थी। दिनांक 19.06.2015 की तारीख पेशी मे नियत नही होने के बावजूद दिनांक 19.06.2015 को पत्रावली को लोक अदालत मे रखे जाने हेतु आगामी तारीख पेशी 14.07.2015 लोक अदालत की नियत की गई जिसकी कोई जानकारी अपीलांट्गण को नहीं थी। दिनांक 14.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा राजीनामे हेतु निवेदन किया जाना बताकर व सहमति होना बताकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार राशमी को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया। दिनांक 24.03.2021 को तहसीलदार कमिश्नर से प्राप्त फर्द बंटवाड़ा रेकॉर्ड पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान की नामकायमी की तलबी व बहस फर्द बंटवाड़ा नियत की गई। जिसके लिए तारीख पेशी दिनांक 26.11.2021 नियत थी। दिनांक 26.11.2021 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प राशमी मे रखी जाकर बिना तामील व बिना किसी लिखित राजीनामे के प्रतिवादी संख्या 6/2, 6/3 के अधिवक्ता द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जाना बताकर तहसीलदार राशमी कमिश्नर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना मानकर व उभय पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना मानकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण सख्या 1, 2, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिससे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। तत्पश्चात साक्ष्य लिवायी जाकर दिनांक 14.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के द्वारा राजीनामे हेतु निवेदन किया जाने व आपसी सहमति होने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार राशमी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार राशमी कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़ा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुरुप होने व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होने एवं उभय पक्षकारान को उक्त फर्द बंटवाड़े पर कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं होने से उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण सख्या 1, 2, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी संख्या 2256 रकबा 8.13 बीघा मे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बीघा पर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा होना अंकित किया गया है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे मे अस्वीकार किया गया जिससे उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे को इकबाली जवाबदावा होना मानते हुए पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना मानकर पत्रावली मे तनकीयात कायम किये बिना ही पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादिया पुष्पा की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.06.2015 नियत थी। दिनांक 19.06.2015 की तारीख पेशी मे नियत नही होने के बावजूद दिनांक 19.06.2015 को पत्रावली को लोक अदालत मे रखे जाने हेतु आगामी तारीख पेशी 14.07.2015 लोक अदालत की नियत की गई । दिनांक 14.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा राजीनामे हेतु मौखिक निवेदन किया जाना बताकर व सहमति होना बताकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार राशमी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया परन्तु तहसीलदार कमिश्नर ने स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार कराया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने व सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने से अवैधानिक है। उक्त फर्द बंटवाड़ा दिनांक 24.03.2021 को तहसीलदार राशमी कमिश्नर से प्राप्त फर्द बंटवाड़ा रेकॉर्ड पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान की नामकायमी की तलबी व बहस फर्द बंटवाड़ा नियत की गई। जिसके लिए तारीख पेशी दिनांक 26.11.2021 नियत थी। दिनांक 26.11.2021 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प राशमी मे रखी जाकर बिना तामील व बिना किसी लिखित राजीनामे के तहसीलदार राशमी कमिश्नर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को प्राथमिक डिक्री के अनुसार होना मानकर व उभय पक्षकारान को उक्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना मानकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 152/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर, बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)